न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिकप्रकरण क0-74 / 16</u> <u>संस्था0दि0 29 / 02 / 2016</u> फाईलनं.233504000432016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

<u>----अभियोजन.</u>

-: विरूद्ध:-

सुर्यभान पिता यादोराव डोंगरे, उम्र 32 वर्ष, पेशा खेती, नि0ग्राम—जम्बाड़ा, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

<u>----अभियुक्त.</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—29 / 09 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 24/02/16 को शाम 4:00 बजे करीब आरोपी के खेत में ग्राम जम्बाड़ा आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी गोलू को धारदार पिराने का लोहे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2— दिनांक 24/09/16 को लोक अदालत में फरियादी गोलू तथा अभियुक्त सुर्यभान के मध्य राजीनामा होने से धारा 294 एवं 506 भाग—2 में अभियुक्त सुर्यभान को दोषमुक्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी गोलू ने थाना हाजिर होकर जबानी रिपोर्ट किया कि दिनांक 24/02/16 के शाम 4 बजे की बात है कि वह बकरी चराने नदी तरफ गया था तो उसकी एक बकरी सुर्यभान पिता यादोराव डोंगरे के बने खेत में चली गई थी वह बकरी लेने गया तो सुर्यभान ने मादर चोद बहन चोद की गंदी—गंदी गालियाँ देकर पिराना से उसके दोनों पैरों की जांघ में मारा तथा लोहे तरफ से उसके बांये हाथ की भुजा में कोहिनी के उपर मारा खून निकला है तथा दर्द हो रहा है तथा

वह कह रहा था कि दोबारा बकरी उसके खेत में आई तो उसे जान से खतम कर देगा। बीच बचाव संगीता बामने एवं कुसमू बामने ने किया है।

- 4— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/16 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 294,323,324,34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 26/02/16 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0—2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। दिनांक 26/02/16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 5— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूटा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

"आपने दिनांक 24/02/16 को शाम 4:00 बजे करीब आरोपी के खेत में ग्राम जम्बाड़ा आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी गोलू को धारदार पिराने का लोहे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की?

<u>—ः निष्कर्ष एवं उसके आधार :—</u>

-: विचारणीय प्रश्न क0 01 का निराकरण

7— अभियोजन साक्षी गोलू (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह बकरी चराने गया था उसकी बकरी सूर्यभान के खेत में घुस गई थी इसी बात को लेकर आरोपी ने हाथ में लाठी से मारपीट किया था और आरोपी ने जान से मारने की भी धमकी दिया था। मारपीट से उसे हाथ एवं पैर में चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में किया था जो प्र0पी0 1 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका डाक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी सुर्यभान ने उसे धारदार पिराने से मारपीट कर चोट पहुँचाई

थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 2 ए से ए भाग का बयान दिया था।

- 8— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी सुर्यभान ने धारदार पिराने के लोहे से नहीं मारा था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने उसे धारदार पिराने के लोहे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य की मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि० की धारा 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।
- 9— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी गोलू को धारदार पिराने का लोहे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी गोलू को धारदार पिराने का लोहे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार अभियुक्त सुर्यभान को भा०द०वि० की धारा—324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— अभियुक्त के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 12— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति एक बांस का डंडा मूल्यहीन होने से नष्ट किया किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0